आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश

सं0 4959 /दो–805ए /मि0अ0/ दिनांकःइलाहाबादः मार्च, 07, 2010

आदेश

विषाक्त मदिरा/मिथाइल अल्कोहल के सेवन से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है । ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि राजमार्गो पर स्थित ढाबों एवं कुछ अन्य अड्डों पर आसवनी से रेक्टीफाइड स्प्रिट/विशेष विकृत स्प्रिट तथा अन्य इकाईयों से मिथाइल अल्कोहल ले जा रहे ड्राइवरों द्वारा स्प्रिट/मिथाइल अल्कोहल की कुछ मात्रा अनधिकृत व्यक्तियों को चोरी से बेच दी जाती है । **ज्ञातव्य है कि मिथाइल अल्कोहल एक अतिघातक विष है जो कि सूँघने व देखने में इथाइल अल्कोहल/रेक्टीफाइड स्प्रिट के सदृश अर्थात समान ही प्रतीत होता है ।**

2– मिथाइल अल्कोहल की जन सामान्य द्वारा आसानी से पहचान हो सके इस निमित्त उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली 1994 के नियम–17 ख(ड.) में आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश द्वारा यथा विहित रंगीनकर्मक एवं तीक्ष्ण गन्ध मिलाये जाने का प्राविधान किया गया है । उक्त प्राविधान के क्रम में मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक एवं तीक्ष्ण गन्ध मिलाये जाने संबंधी आदेश सं0 845/दो–805ए/मि0अ0/1998 दिनांक 17.7.1998 निर्गत किये गये थे। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लगातार यह तथ्य आ रहा है कि उक्त आदेश दिनांकित 17.7.1998 का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण रेक्टीफाइड स्प्रिट के भ्रम में अवैध रूप से प्राप्त मिथाइल अल्कोहल के सेवन से दुःखद मौते हो रही है । पूर्व में हुई अनेक मौतों के अतिरिक्त अभी हाल में ही जनपद सहारनपुर के देवबन्द जनपद बनारस के कैंट, जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर एवं बहादुरगढ़ तथा बुलन्दशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रों में अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु मिथाइल अल्कोहल एवं मिथाइल अल्कोहलयुक्त अवैध/विषाक्त मदिरा के सेवन से हुई है। विद्यमान स्थितियों के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी का समाधान हो गया है कि जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा (public health and safety) सार्वजनिक हित (public interest) एवं सार्वजनिक व्यवस्था (public order) के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय से जारी आदेश सं0 845/दो–805ए/मि0अ0/1998 दिनांक 17.7.1998 को अतिक्रमित करते हुए मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक एवं तीक्ष्ण गन्ध कारक पदार्थ मिलाये जाने हेतु स्पष्ट आदेश निर्गत करना अनिवार्य हो गया है ।

3– उपरोक्त प्रस्तर 1 व 2 की स्थितियों के आलोक में मैं सुधीर एम0 बोबडे, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली 1994 के नियम–17 ख (ड.) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य में किसी लाइसेंस के अधीन मिथाइल अल्कोहल के भण्डारण करने, कब्जे में रखने, वितरण करने, अंतरण करने एवं विक्रय करने

हेतु अनिवार्यतः मिथाइल अल्कोहल में निम्नानुसार रंगीन कर्मक और तीक्ष्ण गन्ध मिलाने हेतु विहित करता हूँ :–

(क) **मिथाइल अल्कोहल से थिनर, पेन्ट व वार्निश उत्पादन हेतु :–**

इस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होने वाले मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक के रूप में 0.0002 प्रतिशत क्रिस्टल वायलेट अर्थात् 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 200 मिलीग्राम क्रिस्टल वायलेट तथा तीक्ष्ण गंध कारक पदार्थ के रूप में 0.2 प्रतिशत क्रोटोनल्डीहाइड अर्थात् 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 200 मिलीलीटर क्रोटोनल्डीहाइड एवं 40 पी0पी0एम0 डिनाटोनियम बेन्जोएट/डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) अर्थात 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 4 ग्राम डिनाटोनियम बेन्जोएट/डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) मिलाया जाना विहित किया जाता है ।

(ख) **मिथाइल अल्कोहल से ईस्टर बनाने हेतु :–**

इस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होने वाले मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक के रूप में 0.0002 प्रतिशत क्रिस्टल वायलेट अर्थात् 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 200 मिलीग्राम क्रिस्टल वायलेट तथा तीक्ष्ण गंध कारक पदार्थ के रूप में 3.0 प्रतिशत बेन्जीन अर्थात् 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 3 लीटर बेन्जीन एवं 40 पी0पी0एम0 डिनाटोनियम बेन्जोएट/डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) अर्थात 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 4 ग्राम डिनाटोनियम बेन्जोएट/डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) मिलाया जाना विहित किया जाता है ।

(ग) **मिथाइल अल्कोहल से फारमेल्डिहाइड बनाने हेतु :–**

इस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होने वाले मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक के रूप में 0.0002 प्रतिशत क्रिस्टल वायलेट अर्थात् 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 200 मिलीग्राम क्रिस्टल वायलेट तथा तीक्ष्ण गंध कारक पदार्थ के रूप में 1.0 प्रतिशत फारमेल्डिहाइड अर्थात् 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में एक लीटर फारमेल्डिहाइड एवं 40 पी0पी0एम0 डिनाटोनियम बेन्जोएट/डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) अर्थात 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 4 ग्राम डिनाटोनियम बेन्जोएट/ डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) मिलाया जाना विहित किया जाता है ।

(घ) **मिथाइल अल्कोहल के अन्य उपयोगों हेतु :–**

उपरोक्त बिन्दु 1,2,व 3 के अन्तर्गत वर्णित उपयोगों से भिन्न किसी अन्य उपयोग में प्रयुक्त होने वाले मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक के रूप में 0.0002 प्रतिशत क्रिस्टल वायलेट अर्थात 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 200 मिलीग्राम क्रिस्टल वायलेट तथा तीक्ष्ण गन्ध कारक पदार्थ के रूप में 0.2 प्रतिशत क्रोटोनल्डीहाइड अर्थात् 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 200 मिलीलीटर क्रोटोनल्डीहाइड एवं 40 पी0पी0एम0 डिनाटोनियम बेन्जोएट/डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) अर्थात 100 लीटर मिथाइल अल्कोहल में 4 ग्राम डिनाटोनियम बेन्जोएट/ डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) मिलाया जाना विहित किया जाता है ।

4— फारमेल्डिहाइड, कोटोनल्डीहाइड ,बेन्जीन तथा डिनाटोनियम बेन्जोएट/ डिनाटोनियम सेकराइड (बिटरेक्स) की गुणवत्ता इण्डियन स्पेसिफिकेशन फार अल्कोहल डिनेचुरेन्ट्स सं0— आई एस : 4117—2008 तथा किस्टल वायलेट की गुणवत्ता फार्माकोपिया आफ इण्डिया वाल्यूम—1 पृष्ठ—140 में निर्धारित विवरण के अनुरूप होगी । उक्त रंगीन कर्मकों एवं तीक्ष्ण गन्ध कारक पदार्थो की मिथाइल अल्कोहल में मिलाने के पूर्व इनका परीक्षण संबंधित आबकारी प्रयोगशालाओं (मेरठ, लखनऊ व गोरखपुर) से करवाया जाना अनिवार्य होगा ।

5— उत्तर प्रदेश में मिथाइल अल्कोहल आयात करने वाली इकाईयों को संदर्भगत नियमावली 1994, के अन्तर्गत आयात परमिट लाइसेंस प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आयातक इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि मिथाइल अल्कोहल को प्रदेश में आयात करने से पूर्व उसमें रंगीन कर्मक एवं तीक्ष्ण गन्ध कारक पदार्थ निर्यातक इकाई के स्तर पर ही मिश्रित किया जाय।

(सुधीर एम0बोबडे)
आबकारी आयुक्त,उ0प्र0।

सं0 4960—5460 /दो—805ए /मि0अ0/ तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, गृह एवं आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,बापू भवन, लखनऊ ।
2. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि अपने जनपद में संदर्भगत नियमावली 1994 के अन्तर्गत के अधीन अनुज्ञापियों को इसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। साथ ही जन सामान्य में इसका प्रचार—प्रसार भी कराने का कष्ट करें।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त(जोन्स), उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय ।
11. समस्त उप आबकारी आयुक्त,चार्जेज,उत्तर प्रदेश ।
12. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13. सहायक अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट, क्षेत्रीय प्रयोगशालायें मेरठ,लखनऊ एवं गारेखपुर एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला ,इलाहाबाद ।

(सुधीर एम0बोबडे)
आबकारी आयुक्त,उ0प्र0।